सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 01, बुधवार, *शाके* 1945-अगस्त 23, 2023 *Bhadra 01, Wednesday , Saka 1945- August 23, 2023*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

आदेश

जयपुर, जुलाई 11, 2023

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)(सीमा वृद्वि)डीएलबी/22/ 2656 :-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रंमांक 351 दि. 19/02./2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना क्रं.सं. 1021 दिनांक 20/5/2022 के द्वारा ग्रांम पंचायत गुढागौडजी जिला झुंझनूं को नगर पालिका गुढागौडजी घोषित किया गया था।

जिला कलेक्टर झुंझनूं के पत्र क्रंमांक 394 दिनांक 30.01.23 के प्रस्तावानुसार नवगठित नगर पालिका गुढागौडजी की वर्तमान सीमा में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ग्रांम पंचायत टोडी की सम्पूर्ण राजस्व गॉव की वर्तमान सीमाओं के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से सम्मिलित किया जाता है ।

अतः नगर पालिका गुढागौडजी की वर्तमान सीमा, (पूर्व की सीमा के साथ साथ ग्रांम पंचायत टोडी की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ग्रांम पंचायत गुढागौडजी जनसंख्या 13,369 एवं ग्रांम पंचायत टोडी की जनसंख्या 6,816 कुल जनसंख्या 20,185) विद्यमान सीमा हो जावेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।